

बिहार सरकार  
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश


का0आ0सं0:-4/अ0प्र0-1-07/2018 229

/पटना दिनांक-08/9/22

विभागीय पत्रांक-2883 दिनांक-08.03.2017 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में श्री शंकर प्रसाद यादव, कनीय अभियंता (गृह जिला-बेगुसराय), कार्य प्रमंडल, झांझा, कार्य प्रशाखा, चकाई-2 को कार्यरहित में उन्हें अपने कार्यों के अतिरिक्त उसी कार्य प्रमंडल के रिक्त कार्य प्रशाखा, चकाई-03 का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

2. यह आदेश बिल्कूल अस्थायी है, इसके लिए अलग से कोई प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा। आवश्यकतानुसार इस आदेश को किसी भी समय निरस्त/संशोधित किया जा सकता है। अतिरिक्त प्रभार वाले उक्त कार्य प्रशाखा में किसी कनीय अभियंता का पदस्थापन होने की स्थिति में यह आदेश स्वतः समाप्त हो जाएगा।


3. पूर्व में निर्गत उक्त से संबंधित आदेश इस हद तक संशोधित समझे जाएँगे।

  
(अशोक कुमार मिश्रा)  
अभियंता प्रमुख।

ज्ञापांक:-4/अ0प्र0-1-07/2018 4735

/पटना दिनांक-08/9/22


प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता-2, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुंगेर/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, झांझा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
अभियंता प्रमुख।

ज्ञापांक:-4/अ0प्र0-1-07/2018 4735

/पटना दिनांक-08/9/22


प्रतिलिपि:- संबंधित कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग एवं अन्य सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
अभियंता प्रमुख।

ज्ञापांक:-4/अ0प्र0-1-07/2018 4735

/पटना दिनांक-08/9/22

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
अभियंता प्रमुख।